

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मथुरा**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-753/2026  
सी०एन०आर०सं० UPMT01-001411/2026  
ब्रजभूषण पण्डित बनाम उ.प्र. राज्य

**आदेश**

- 1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त ब्रजभूषण पण्डित उर्फ भूषण पण्डित की ओर से मु०अ०सं० 75/2025, धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना-कोतवाली, जिला मथुरा के अन्तर्गत दिया गया है।
- 2- संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार गैंग लीडर ब्रजभूषण पण्डित उर्फ भूषण पण्डित तथा गैंग के सदस्य शिवराणा, शुभम सिंह व राहुल दिवाकर के साथ मिलकर एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है। यह गैंग लूटपाट करने की तैयारी करने व आम जनता के लोगो के साथ गाली गलौज करने व मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने जैसे गम्भीर अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करने में संलिप्त है। इस गैंग के भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत एवं गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त का निम्न आपराधिक इतिहास है:-

**अभियुक्त ब्रजभूषण पण्डित उर्फ भूषण पण्डित -**

- I. मु०अ०सं० 304/2022, धारा 398,401 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा।
  - II. मु०अ०सं० 381/2021, धारा 147,149,323,427,506 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा।
  - III. मु०अ०सं० 177/22, धारा 323,504,506 भा०द०सं०, थाना गोविन्द नगर, जिला मथुरा।
  - IV. मु०अ०सं० 462/2023, धारा 34,307,504,506 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा।
- 3- जमानत प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र में शपथकर्ता ने यह अभिकथित किया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, उसे उपरोक्त मुकदमें में रंजिश के कारण फंसाया गया है। अभियुक्त पर गैंगचार्ट के अनुसार जो भी मुकदमें दिखाये गये हैं, उन पर अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व सत्र न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में न पूर्व में दिया गया है और न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। अभियुक्त दिनांक 09.2.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।
- 4- मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से लोक अभियोजक के तर्क सुने एवं पत्रावली का परिशीलन किया।
- 5- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। अभियुक्त का न तो किसी सक्रिय गैंग से संबंध है तथा न ही आपराधिक इतिहास है। अतः प्रश्नगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दी जाये।
- 6- राज्य के लोक अभियोजक ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक गिरोह के गैंग का गैंगलीडर हैं। अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ एक राय व संगठित होकर लूटपाट करने की तैयारी करने व आम जनता के लोगो के साथ गाली गलौज करने व मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने जैसे गम्भीर अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करने में

संलिप्त है। जिसकी वजह से भय का माहौल व्याप्त रहता है। अतः अभियुक्त की जमानत खारिज की जाये।

7- पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त/प्रार्थी के विरुद्ध चार आपराधिक मुकदमा दर्ज हैं। उक्त मुकदमें लूट आदि से सम्बन्धित है। प्रार्थी /अभियुक्त आपराधिक गैंग का गैंगलीडर बताया गया है। गिरोह के सभी मुल्जिमानों का आपराधिक इतिहास है। धारा-19(4 ख)उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 द्वारा अपेक्षित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अभियुक्त/प्रार्थी को तभी जमानत दी जायेगी, जब न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि अभियुक्त/प्रार्थी ऐसे अपराध के दोषी नहीं है तथा वह जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध कारित नहीं करेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में अभी इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त/प्रार्थी आरोपित अपराध में दोषी नहीं है अथवा जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः अपराध नहीं करेगा। प्रश्नगत मामले में आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

#### आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी ब्रजभूषण पण्डित उर्फ भूषण पण्डित का जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० 75/2025, धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना-कोतवाली, जिला मथुरा निरस्त किया जाता है

आदेश की एक प्रति अभियुक्त/प्रार्थी को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक-11.03.2026

प्रभारी विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/  
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 05, मथुरा